



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना किरतपुर

दिनांक - 14.09.2023

**थाना किरतपुर पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की मोटर साईकिल सहित किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही का विवरण –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में वाहन चोरी की घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने व वाहन चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 14.09.2023 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त राहुल पुत्र अशोक शर्मा निवासी ग्राम राजोपुर सादात थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर हाल निवासी ग्राम सराय थाना ज्वालापुर जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) को गिरफ्तार किया । अभियुक्त के कब्जे से फर्जी नम्बर प्लेट लगी स्पलेन्डर मोटरसाइकिल नं० UP20AA5951 व एक चाकू नाजायज बरामद किया गया । गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना किरतपुर पर मु०अ०सं० 391/2023 धारा 411/420/465/482 भादवि, धारा 4/25 शस्त्र अधि० व धारा 41/102 सीआरपीसी पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

### पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि यह मोटर साईकिल मैंने दिनांक 28.03.2022 को जजी परिसर, बिजनौर से चोरी की थी जिस पर फर्जी नम्बर प्लेट (UP20AA5951) लगा रखी है तथा इसका असली नम्बर UP20X1360 था ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राहुल पुत्र अशोक शर्मा निवासी ग्राम राजोपुर सादात थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर हाल निवासी ग्राम सराय थाना ज्वालापुर जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

### बरामदगी –

चोरी की मोटरसाईकिल स्पलेण्डर फर्जी न० प्लेट UP20AA5951

एक चाकू नाजायज

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ०नि० श्री जोगेन्द्र तेवतिया थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

2-का० 661 सतेन्द्र कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

3-म०आ० 1296 शिवानी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

## थाना चांदपुर व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने अभियुक्त को अवैध देशी शराब सहित किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही का विवरण:-

पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराधो की रोकथाम व अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम थाना चांदपुर व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने सचिन गुप्ता पुत्र नानक चन्द गुप्ता नि० मौ० गोकुलनगर कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 51 पच्चे अवैध देशी शराब गिरफ्तार किया । अभि० द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि वह अवैध शराब रोहित व प्रदीप पुत्रगण वीर सिंह नि० ग्राम हाशमपुर थाना चांदपुर से खरीदकर बेचता है । इस संबंध में थाना चांदपुर पुलिस पर मु०अ०सं० 670/23 धारा 60 आबकारी अधि० व धारा 419/420/467/468 भादवि० बनाम सचिन,रोहित व प्रदीप उपरोक्त पंजीकृत किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सचिन गुप्ता पुत्र नानक चन्द गुप्ता नि० मौ० गोकुलनगर कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

### बरामदगी विवरण:-

1.51 पच्चे अवैध देशी शराब

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.आबकारी निरीक्षक अभय कुमार सिंह
- 2.आबकारी निरीक्षक हरि नारायण यादव आबकारी निरीक्षक सदर क्षेत्र
3. आबकारी सिपाही बुद्धेश कुमार
4. आबकारी सिपाही रोहित कुमार
5. उ०नि० श्री अमित सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 6.हे०का० 361 राजेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।